न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 162/2021

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1. रणछोड पुत्र धन्नाराम बावरी निवासी– पातुस, तहसील जैतारण जिला पाली।		1. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार, जैतारण, पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 76 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व निर्णय दिनांक 22.12.2016 जो अति0 जिला कलेक्टर,पाली के द्वारा प्रकरण संख्या 96/2016 अनवान रणछोड बनाम सरकार में पारित किया गया।

उपस्थितिः–

1– श्री थानाराम चौधरी, अधिवक्ता अपीलान्टस की ओर से।
2– श्री नवल सिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से।

निर्णय

दिनांक 30 जनवरी, 2023

उक्त अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पातूस के ख0सं0 3/3 रकबा 1.02 बीघा किस्म गैर मुमकीन गोचर की राजकीय भूमि पर अपीलान्ट के द्वारा अतिक्रमण किये जाने की रिपोर्ट पटवारी हल्का बिरोल द्वारा तहसीलदार जैतारण के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर तहसीलदार जैतारण के द्वारा धारा 91 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज करते हुए अपने आदेश दिनांक 18.10.2016 के द्वारा अपीलान्ट को अतिक्रमण करने से पश्चातवर्ती अतिक्रमी घोषित करते हुए भौतिक रूप से बेदखल करने का आदेश पारित किया तथा 50 रूपये के आर्थिक दण्ड से दण्डित करते हुए 90 दिवस के सिविल कारावास का दण्ड दिया गया। अपीलान्ट के द्वारा तहसीलदार जैतारण के उक्त आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई जिस पर अधिनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर पाली के द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.12.2016 के द्वारा अपीलान्ट की अपील अस्वीकार कर दी। जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की है।

पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित। अपीलान्ट के अधिवक्ता ने उपरोक्त तथ्यों को दोहराते हुए यह भी कथन किया कि अपीलाधीन आदेश विधि व तथ्य रेकर्ड व साक्ष्य के विरूद्ध होने से निरस्त करने योग्य है। अपीलान्ट की ओर से अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष आर0आर0सी0 1996 पेज संख्या 471, आरआरटी 2001 पेज संख्या 1163 की नजीर पेश की जिनमें यह अंकित किया गया है कि प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के विरूद्ध अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना पटवारी हल्का के बयान लिये बिना कठोर सजा देकर जेल का आदेश दिया गया है वह विधि अनुसार नहीं है। साथ ही शहादत उपलब्ध नहीं होने व दुबारा कब्जा करने बाबत तहसीलदार के यहॉ प्रमाणित प्रति पेश नहीं की गई जिससे उक्त सबूत के अभाव में सिविल कारावास के आदेश को निरस्त किया गया था व शहादत उपलब्ध नहीं होने का भी विवेचन किया गया परन्त प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा उक्त नजीरों पर फाईंडिंग

नहीं देकर अपीलाधीन आदेश को बरकरार रख दिया गया।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि दिनांक 19.9.16 को प्रकरण दर्ज किया जाकर दिनांक 18.10.16 को पटवार घर बिरोल में उपलब्ध रहने हेतु सम्मन जारी किया गया। परन्तु तमाम कार्यवाही तहसील में ही बैठकर कर ली गई। अपीलान्ट को प्रोपर रूप से तामील नहीं करवाई गई व न अपीलान्ट तहसील में हाजिर हुआ, तहसीलदर द्वारा गलत रूप से हाजरी दर्ज कर अपीलान्ट के विरूद्ध सजा का आदेश पारित कर दिया जो अपास्त करने योग्य था। अपीलान्ट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में मौके पर कब्जा छोडने का शपथ पत्र पेश किया व निवेदन किया था कि मौके पर कब्जा छोड दिया व पुनः कब्जा नहीं करेगा तथा तहसीलदार महोदय के समक्ष भी ऐसा शपथ पत्र पेश कर देगा परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने इस बात पर गौर नहीं किया और तहसीलदार जैतारण के आदेश को बरकरार रखा जो निरस्त करने योग्य है। अपीलान्ट का तहसीलदार जैतारण द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमी घोषित कर दिया परन्तु पूर्व में किसी भी प्रकरण में उसे बेदखल नहीं किया गया है, इस कारण से बेदखल होने का प्रश्न नहीं पैदा होता, प्रकरण में मात्र खानापूर्ति कर ऐसे कठोर आदेश से अपीलान्ट को दण्डित कर दिया जबकि तमाम फर्जी कार्यवाही कर बेदखली की फर्जी रिपोर्ट तैयार कर अपीलान्ट को सजा से दण्डित कर दिया। उक्त वर्णित भूमि नियमन होने पर अपीलान्ट नियमन का हकदार है व पटटा प्राप्ति का भी हकदार है। अपीलान्ट गरीब व्यक्ति है व उक्त भूमि पर काबिज है व उसका परिवार अर्से दराज से यहाँ निवासरत है, उक्त भूमि सरकारी भूमि नहीं है, व भूमि नियमन योग्य है। हल्का पटवारी की रिपोर्ट को आधार बनाकर पारित किया गया आदेश निरस्त करने योग्य है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जावे एवं अपीलाधीन दोनों आदेश कमशः 18.10.2016 एवं दिनांक 22.12.2016 को निरस्त किया जावें।

प्रत्युतर में रेस्पो0 संख्या एक की ओर से उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अपीलान्ट के प्रकरण में तहसीलदार जैतारण न्यायालय द्वारा धारा 91 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत विधिवत कार्यवाही करते हुए अतिक्रमी घोषित कर राजकीय भूमि से बेदखल करने का आदेश पारित किया गया था तथा अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा भी अपीलान्ट की प्रथम अपील को अस्वीकार करने का जो अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है वो दोनों पूर्ण रूप से उचित है एवं यथावत बहाल रखे जाने योग्य है।

हमने उपस्थित पक्षकारान के अधिवक्ताओं की गई बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, अपीलांधीन आदेश दिनांक 18.10.2016 एवं आदेश दिनांक 22.12.2016 इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिससे यह पाया गया कि अपीलान्ट के द्वारा गौचर भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया है, जो यह साबित करता है कि अतिक्रमी को सरकारी भूमि पर अतिक्रमण सम्बन्धी प्रावधानों की जानकारी रही है एवं अपीलान्ट को पूर्व में इसी गोचर भूमि से बेदखल किया गया है एतएव अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर, पाली द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं दस्तावेजात का विवेचन विश्लेषण करने के उपरान्त अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर, पाली के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.12.2016 को यथावत रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 30 जनवरी, 2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओ0 पी0 बिश्नोई)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त